<u>निर्देश सं 80</u>

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग

17वाँ तल, जवाहर व्यापार भवन,
(एस. टी. एस. बिल्डिंग),
टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली – 110001

फ. सं. ए – 110018/01/2021-सी. ए. क्यू. एम./6507-6517 **दिनांक: 12.04.2024**

<u>विषय:</u> 2024 में धान की पराली जलाने की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए अद्यतन / संशोधित कार्य योजना का कार्यान्वयन एवं समीक्षा

1. जबकि, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवक्ता प्रबंधन आयोग का गठन किया गया है (बाद में आयोग के रूप में संदर्भित)|

2. जबकि' अधिनियम धारा 12(1) के तहत आयोग को अधिकार है कि एन सी आर और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता को संरक्षित और सुधार करने के उद्देश्य से ऐसे सभी उपाय करें, निदेश आदि जारी करें जैसा कि वे आवश्यक व व्यावहारिक समझें |

3. जबकि, अधिनियम की धारा 12(1) के तहत आयोग को अधिकार है कि वे किसी व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकारी को लिखित में आदेश जारी करें और ऐसे व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे आदेशों को मानने के लिए वाध्य होंगे |

4. जबकि, धान की पराली जलाना गंभीर चिंता का विषय है इसका असर एन सी आर में वायु गुणवत्ता पर पड़ता है और आयोग ने विभिन्न हितधारकों के साथ-साथ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, और राजस्थान की राज्य सरकारों, जी एन सी टी डी, एन सी आर के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पंजाब और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डी पी सी सी) और ज्ञान संस्थानों के साथ सिलसिलेवार बैठकों में इस मुद्दे पर विचार विमर्श किया |

5. जबकि, आयोग ने दिनांक 10-06-2021 के निदेश के माध्यम से सम्बंधित राज्यों के लिए फसल अपशिष्ट जलाने को नियंत्रित / कम करने के लिए एक रूप रेखा प्रदान की और निदेश दिया कि प्रमुख रूप- रेखाओं के आधार पर राज्य विशिष्ट विस्तृत कार्य योजनाएं बनायीं जाए |

6. जबकि, दिनांक 28-07-2021 को आयोग ने प्रभावी ढंग से एक्स-सिटू पराली प्रबंधन के लिए पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लिए परामर्शी जारी की |

7. जबकि, आयोग ने दिनांक 16-08-2021 के निदेश के तहत एन सी आर राज्यों की सरकारों, एन सी टी दिल्ली सरकार और पंजाब सरकार को परामर्श दिया कि आग की घटनाओं को मॉनिटर और रिपोर्ट

करने की लिये उपग्रह डाटा का प्रयोग करके इसरों (आई एस आर ओ) द्वारा विकसित मानक प्रोटोकॉल अपनाने की सलाह दी थी |

8. जबकि, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान सरकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने धान की पराली की रोक थाम और नियंत्रण के लिए राज्य विशिष्ट कार्य योजनाये तैयार की थी |

9. जबकि, 2021, 2022 एवं 2023 के दौरान क्षेत्र के अनुभव और सीख के आधार पर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश (एन सी आर जिले) की कार्य योजनाओं को 2024 के दौरान आने वाली धान की फसल के लिए पुनः संशोधित और अद्यतन किया गया है |

10. जबकि, उपरोक्त उल्लिखित अद्यतन कार्य योजनाओं की मुख्य विशेषताएँ पूर्ण आयोग की दिनांक 15 मार्च 2024 को हुई बैठक में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत की गई और आयोग ने सम्बंधित कार्य योजनाओं को अनुमोदित किया |

11. अब, इसलिए, धान की पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने की अत्यधिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आयोग पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों को निदेश देता है कि वर्ष 2024 के दौरान धान की पराली जलाने को पूर्णतःसमाप्त करना सुनिश्चित करने हेतु सम्बंधित संशोधित कार्य योजनाओं को प्रभावी ढंग से अक्षरशः क्रियान्वित किया जाये एवं अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित पर ध्यान केन्द्रित किया जाये: -

(i) धान की पराली का प्रबंधन (सीआर एम के माध्यम से इन –सीटू प्रबंधन , बायो डीकंपोजर अनुप्रयोग आदि ईंधन /फीडस्टॉक का एक्स –सीटू प्रबंधन) जिससे राज्य के सभी खेतों /किसानों को कवर किया जा सके |

(ii) सी एच सी / एफ पी ओ/ फार्म बैंक आदि में मशीनों की उपलब्धता एवं आबंटन की समीक्षा

(iii) सी एच सी संख्या में वृद्दि एवं उनके पास उपयुक्त संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना

(iv) वर्ष 2024 के लिए व्यक्तियों / सी एच सी द्वारा चिन्हित नई सी आर एम मशीनों की खरीद काफी पहले जुलाई अगस्त 2024 तक सुनिश्चित करना |

(v) सी एच सी / एफ पी ओ/ फार्म बैंक आदि में उपलब्ध मशीनों का अनुकूलन और उपयोग बढ़ाएं एवं गरीब और सीमान्त किसानों को मशीनों की आपूर्ति पर ध्यान केन्द्रित करें |

(vi) ग्राम/ब्लाक स्तर पर टीमों / अधिकारियों द्वारा निगरानी के अलावा सी एच सी / एफ पी ओ/ फार्म बैंक आदि में मशीनों की उपयोग के लिए आई टी / बेव आधारित निगरानी तंत्र स्थापित करना |

(vii) आई ई सी / संवेदीकरण गतिविधियों की निरंतरता बनायें रखना जिससे पराली जलाने के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता लायी जा सके |

(viii) कड़ी निगरानी एवं प्रवर्तन करवाई के लिए नोडल / क्लस्टर / ग्राम स्तर पर अधिकारियों की समय पर नियुक्ति एवं प्रतिनियुक्ति |

(ix) धान की पुआल जलाने वाले खेत / क्षेत्रों की पिन-पोइंटिंग और निरीक्षण तंत्र, यदि कोई हो, मानक इसरो प्रोटोकॉल के अनुसार निर्धारित पर्यावरण मुआवजा लगाना और वसूल करना सहित ऐसे फार्म रिकॉर्ड में लाल स्याही से प्रविष्टियाँ / जबाबदेही सुनिश्चित करना शामिल है |

(x) राज्य सरकार/ जिला प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर रूप रेखा / राज्य विशेष कार्य योजना की नियमित रूप से समीक्षा करना और कड़ी निगरानी करना

12. दिल्ली जी एन सी टी और राजस्थान राज्य सरकार अगली फसल के मौसम में धान की पराली जलाने को पूरी तरह से ख़तम करने की दिशा में हर संभव प्रयास करें |

13. सम्बंधित योजना की सूचना समय सीमा / माइलस्टोन के अनुसार की गई तैयारी की स्थिति के बारें में आयोग को मासिक आधार पर रिपोर्ट दी जाये |

हस्ता०
(अरविन्द नौटियाल)
सदस्य सचिव
दूरभाष सं. 011-23701197
ईमेल: arvind.nautiyal@gov.in

सेवा में,

1. मुख्य सचिव, पंजाब सरकार, छठी मंजिल, पंजाब सिविल

सचिवालय- 1, सेक्टर- 1, चंडीगढ़- 160001

2. मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चौथा तल, हरियाणा सिविल सचिवालय, सेक्टर-1, चंडीगढ़_ 16000 1.

3.मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, 101, लोक भवन,

उत्तर प्रदेश सिविल सचिवालय, विधान सभा मार्ग, लखनऊ-226001

4. मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली- 110001.

5. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार , जयपुर-302005

प्रतिलिपि :

1. सदस्य सचिव, पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

2. सदस्य सचिव, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

3. सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

4. सदस्य सचिव, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति

5. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

निम्नलिखित को भी प्रतिलिपि:

अध्यक्ष और सभी सदस्य, सीएक्यूएम

(अरविन्द नौटियाल)
सदस्य सचिव